



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27568 वर्ष 2026

शनि कन्नौजिया

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मंगलेश्वर वर्मा, रेनू शर्मा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए., संजीव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलेश्वर वर्मा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह और राज्य के विद्वान एजीए श्री इमरान खान की बात सुनी गई।
- यह जमानत याचिका मामले अपराध संख्या 313/2026, धारा 64(1), 351(3), 352 बीएनएस और धारा 5एल/6 पोक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन शाहपुर, जिला गोरखपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोप के अनुसार, विवाह के झूठे वादे के तहत आवेदक ने पीड़िता का एक वर्ष तक यौन शोषण किया और उसके बाद उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि यह किशोर प्रेम प्रसंग का मामला है और पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर और यहां तक कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज किए गए दोनों बयानों से यह स्पष्ट है कि वह सहमति देने वाली पक्ष थी।
- उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में दो साल बाद जब दोनों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, तब पीड़िता ने आरोप लगाना शुरू किया कि आवेदक ने धोखे से उसका यौन शोषण किया। उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता लगभग 19 वर्ष की बालिग लड़की है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 08.07.2026 से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि आवेदक ने अगस्त 2024 से 2025 तक पीड़िता का यौन शोषण किया और अगस्त 2024 में पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी और चूंकि उसने विवाह के झूठे वादे के तहत उसका यौन शोषण किया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. अतः वे आगे निवेदन करते हैं कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

10. आरोप के अनुसार, आवेदक ने विवाह का झूठा वादा करके पीड़िता (यानी मामले की शिकायतकर्ता) का लगभग एक वर्ष तक यौन शोषण किया और उसके बाद उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मामले की एफआईआर 06.07.2026 को यानी लगभग एक वर्ष बाद दर्ज की गई थी। इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में पीड़िता लगभग 19 वर्ष की वयस्क लड़की है।

11. इसके अलावा, एफआईआर और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों से भी यह पता चलता है कि वह सहमति देने वाली पक्ष थी।

12. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह किशोर प्रेम का मामला प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने विवाह के झूठे वादे के तहत धोखे से पीड़िता का यौन शोषण किया।

13. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 08.07.2026 से जेल में है।

14. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

15. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक- **शनि कन्नोजिया** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.